भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2019
बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को
रोजगार प्रदान करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन

2019. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अधिक से अधिक अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के उम्मीदवारों की भर्ती करने वाली सरकारी और निजी कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास सरकारी और निजी कंपनियों में प्रदान किए गए रोजगार के संबंध में अन्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-वार आंकड़ों का ब्यौरा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के विरूद्ध नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक एवं भर्ती-संबंधी नीतियां संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) के प्रबंधन द्वारा तैयार की जाती हैं। तथापि, सामान्य महत्व के मामलों पर, भारत सरकार द्वारा उद्यमों को नीतिगत दिशा-निदेश जारी किए जाते हैं जिन्हें उद्यमों द्वारा उनकी व्यक्तिगत निगम संबंधी नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना होता है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के रोजगार के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में लागू नीति के समरूप आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को औपचारिक अध्यक्षीय निदेश जारी किए जाते हैं।

(ग): निजी कंपनियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, तथापि केंद्रीय सार्वजनिक सेवा के उद्यमों में अजा/अजजा एवं अपिव-वार ब्यौरे के संबंध में आंकड़ो सहित रोजगार की स्थिति नीचे दी गई हैः

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार अजा/अजजा एवं अपिव का प्रतिनिधित्व

अजा	अजजा	अपिवा
180780	101627	197428

स्रोतः सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19

*****